<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

असामाजिक तत्वों और आतंकी हमले से बचने के लिए दीव समाहर्ता ने जारी किये आदेश

दीव के होटल/लॉज/गेस्ट हाऊस में ठहरने के लिए पहचान-पत्र अनिवार्य

दीव 20 अक्टूबर, 2020: दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने आदेश जारी करते हुए सभी किराये के मकान, गेस्ट हाऊस, होटल, लॉज, चाल मालिकों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी पर्यटक या व्यक्ति के आने पर उसका पहचान-पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह अनिवार्यता असामाजिक तत्वों या आतंकी हमलावरों द्वारा दीव में शरण लेने की आशंका के मद्देनजर किया गया है।

ध्यातव्य है कि दीव एक पर्यटन स्थल है और कई पर्यटक इस प्रदेश में घुमने आते हैं । इन पर्यटकों में अगर कोई असामाजिक तत्व या आतंकवादी हुआ तो वह इस प्रदेश की शांति और लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाते हुए दीव प्रशासन ने बिना अनुमति और पर्यटन विभाग से लाईसेंस लिये बगैर कोई भी गेस्ट हाऊस, होटल, लॉज में किसी भी आगंतुक, अतिथि या पर्यटक को रहने की सुविधा नहीं देंगे। दीव में किसी भी प्रकारी की अप्रिय घटना न हो और यहां शांति एवं सद्भावना कायम रहे और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे इसको ध्यान में रखते हुए दीव जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने आदेश में आधार कार्ड, निर्वाचन-कार्ड, पहचान-पत्र, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई अन्य वाजिब पहचान पत्र जिसपर फोटो लगा हो के आधार पर ही किसी को किराये पर आवास देने को कहा है। अब किराये के मकान, गेस्ट हाऊस, होटल, लॉज, चाल मालिकों को अपने संबंधित पुलिस-स्टेशन या आऊटपोस्ट को किरायेदारों के बारे में लिखित सूचना देनी होगी। इस आदेश को नहीं मानने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 09 अक्टूबर से 07 दिसम्बर 2020 तक कुल 60 दिनों के लिए लागू रहेगा।

हस्ता/-

(जन-संपर्क अधिकारी)

दीव